

12 सितंबर, 2019 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्मेलन कक्ष, 5 वां तल, अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के शासी निकाय की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त।

प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है।

सुश्री शकुंतला डी. गामलिन, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि शासी निकाय की पिछली बैठक 30 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी। इस बीच, विभाग ने इसके तहत बनाई गई योजना को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी से शासी निकाय के विचारार्थ कार्यसूची बिंदुओं को संक्षेप में बताया।

2. डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि की स्थापना के बाद से शासी निकाय की दो बैठकें क्रमशः 09.01.2018 और 30.07.2019 को आयोजित की गईं। इस बीच, आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत राष्ट्रीय निधि पंजीकृत की गई है और पैन (संख्या: एएसीटीएन8946जे) और टैन (संख्या: डीईएलएन18701ई) भी प्राप्त हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग को प्रदर्शनियों के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए राष्ट्रीय निधि की योजना के तहत वित्तीय सहायता की मांग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों से 15.01.2019 को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्क्रीनिंग समिति द्वारा आयोजित अपनी बैठक में इनकी जांच की गई, जिसने वित्तीय सहायता के लिए तीन प्रस्तावों की सिफारिश की। शासी निकाय निधियां जारी करने के लिए इन प्रस्तावों पर विचार करना चाहेगा। शासी निकाय को मौजूदा लेखा परीक्षक की नियुक्ति को एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और निधि के मौजूदा कर्मचारियों की नियुक्ति को बढ़ाने पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी।

3. शासी निकाय के कार्यसूची वार निर्णय निम्नानुसार हैं:-

कार्यसूची मद	शासी निकाय के निर्णय/अवलोकन
<p>कार्यसूची मद 1: 30 जुलाई, 2018 को आयोजित शासी निकाय की दूसरी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट।</p>	<ul style="list-style-type: none"> समिति ने नोट किया कि राष्ट्रीय निधि का पैन और टैन प्राप्त कर लिया गया है और इस निधि को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया गया है। एनएचएफडीसी के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय निधि की अध्यक्षता में न्यास निधि की अपनी पूर्ववर्ती छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित करे ताकि उन अभ्यर्थियों के संबंध में छात्रवृत्ति के नवीकरण पर विचार किया जा सके जिन्हें पूर्व में सहायता प्रदान की गई थी और जो उसी पाठ्यक्रम में अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। शासी निकाय ने नोट किया कि राष्ट्रीय निधि के तहत एक कार्यक्रम अधिकारी और एक लेखाकार को नियुक्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार जल्द ही आयोजित किया जाएगा।

<p>कार्यसूची मद 2: राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाओं/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निधियां जारी करना।</p>	<p>शासी निकाय ने अनुबंध-II में दिए गए विवरण के अनुसार तीनों संगठनों/व्यक्तियों को निधियां जारी करने का अनुमोदन किया।</p>
<p>कार्यसूची मद 3: एनएचएफडीसी द्वारा कार्यान्वित छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के संचालन के लिए मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अंतिम किस्त जारी करना</p>	<p>शासी निकाय ने निर्णय लिया कि मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति देगा। शासी निकाय ने डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव को तदनुसार एजेंसी को रु. 7,87,766/- रुपये की शेष राशि जारी करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।</p>
<p>कार्यसूची मद 4: राष्ट्रीय निधि के तहत वर्तमान स्टाफ सदस्यों का विस्तार</p>	<p>शासी निकाय ने श्री गुलशन कुमार वर्मा, सहायक की सेवाओं को मासिक पारिश्रमिक 27,000/- रुपये से बढ़ाकर 35000/- रुपये (33000/- रुपये + परिवहन भत्ते के लिए 2000/- रुपये) के साथ और सुश्री पूजा मलिक, सहायक को 22,000/- रुपये से बढ़ाकर 30,000/- रुपये (28000/- रुपये + परिवहन भत्ते के लिए 2000/- रुपये) के मासिक पारिश्रमिक के साथ 1.1.2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। उनके नियुक्ति और पारिश्रमिक को बढ़ाने की समीक्षा शासी निकाय द्वारा जनवरी, 2020 में होने वाली बैठक में की जाएगी।</p>
<p>कार्यसूची मद 5: मेसर्स दुबे पांडे कंपनी के साथ अनुबंध को बढ़ाना और पुराने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सीए के लंबित बिलों के भुगतान को जारी करना</p>	<p>शासी निकाय ने मेसर्स दुबे पांडे एंड कंपनी को एक और वर्ष यानी वर्ष 2019-20 के लिए इस निधि के लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए भुगतान शर्तों सहित समान नियमों और शर्तों पर विस्तार को मंजूरी दे दी जैसा कि पिछले वर्ष के लिए किया गया था।</p> <p>जहां तक सीआईटी (अपील) मामलों सहित पूर्ववर्ती दो निधियों के संबंध में संवीक्षा, लेखा और अपील मामलों जैसे विभिन्न मामलों की प्रक्रिया के लिए एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों का संबंध है, शासी निकाय ने निर्णय लिया कि इन विधेयकों पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग गतिविधियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। शासी निकाय ने डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव को ऐसे मामलों में तदनुसार एजेंसी को निधि जारी करने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।</p>
<p>कार्यसूची मद 6: 25-26 जुलाई, 2019 के दौरान एनआईटी कुरुक्षेत्र में आयोजित दिव्यांग युवाओं के लिए राष्ट्रीय आईटी चैलेंज में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों और उनके एस्काॉर्ट्स को टीए जारी करना।</p>	<p>शासी निकाय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि यद्यपि एनआईटी, कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आईटी चैलेंज को विभाग के जागरूकता सृजन कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त है, लेकिन भाग लेने वाले दिव्यांगों और उनके एस्काॉर्ट को टीए का भुगतान नहीं किया जाता है। शासी निकाय ने 25-26 जुलाई, 2019 के दौरान आयोजित दिव्यांग युवाओं के लिए, राष्ट्रीय आईटी चैलेंज</p>

	(एनआईटीसी) के प्रतिभागियों और प्रत्येक एनआईटीसी के लिए एक एस्कॉर्ट/अभिभावक हेतु यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस संबंध में शासी निकाय द्वारा अनुमोदित जारी की कुल अनुमानित राशि 12.00 लाख रुपये है।
<p>कार्यसूची मद 7: एसबीआई शास्त्री भवन में राष्ट्रीय निधि का बैंक खाता खोलना।</p>	शासी निकाय ने एसबीआई शास्त्री भवन, नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के नाम पर नया बचत बैंक खाता खोलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसने जेएस और सीईओ को इस खाते के लेनदेन के लिए हस्ताक्षर प्राधिकारी के लिए भी अधिकृत किया। श्री के.वी.एस. राव, निदेशक और श्री विकाश प्रसाद, निदेशक को चेक पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने और इसी तरह के अन्य खाता लेनदेन उद्देश्यों के लिए नामित करने का निर्णय लिया गया। शासी निकाय ने प्राधिकृत संयुक्त सचिव और सीईओ को, जब भी आवश्यक हो, उनके स्थान पर हस्ताक्षर प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए निदेशक या उप सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करने के लिए अधिकृत किया। शासी निकाय के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की प्रति अनुबंध-III पर दी गई है।
<p>कार्यसूची मद 8: नए प्रस्तावों पर विचार</p>	शासी निकाय ने नोट किया कि विभाग में राष्ट्रीय निधि के तहत वित्तीय सहायता की मांग करने वाले नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सुझाव दिया कि इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द विचार के लिए स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जा सकता है। शासी निकाय ने स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यक्तियों/संगठनों को निधियां जारी करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्राधिकृत किया। ऐसे मामलों में शासी निकाय की तत्काल होने वाली अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन लिया जा सकता है।
<p>कोई अन्य मद</p>	<ul style="list-style-type: none"> • शासी निकाय ने निधि की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार नोट की: <ul style="list-style-type: none"> • सावधि जमा - 251,02,52,185/- रुपये जहां परिपक्वता पर मूल्य सितंबर 2019 तक 266,36,55,828/- रुपये होगा। • बचत बैंक खाते - 5,23,66,143/- रुपये • शासी निकाय ने नोट किया कि आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से बकाया मांग के लिए एसबीआई शास्त्री भवन में पूर्ववर्ती न्यास निधि के बचत बैंक खाते से सीधे 19,62,05,793/- रुपये निकाले हैं। इस प्रकार इस खाते में 4,90,66,312/- रुपये उपलब्ध हैं जो ऊपर बताई गई बचत बैंक राशि के अतिरिक्त है।

	<p>शासी निकाय ने मेसर्स दुबे पांडे एंड कंपनी को काटी गई राशि वापस पाने के लिए इस मामले में उचित स्तर पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।</p> <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत सहायता के नए क्षेत्रों को शामिल करने और संशोधित योजना दिशा-निर्देशों का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जा सकती है:- <ul style="list-style-type: none"> क. डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी ख. श्री संजय पांडे, जेएस एंड एफए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ग. संस्कृति विभाग से एक प्रतिनिधि घ. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ड. श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी विभाग राष्ट्रीय निधि की लेखा प्रक्रिया विकसित करने के लिए सीसीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:- <ul style="list-style-type: none"> क. सीसीए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ख. श्री के.वी.एस. राव, निदेशक, डीईपीडब्ल्यूडी ग. श्री क्षितिज मोहन, निदेशक, आईएफडी, डीईपीडब्ल्यूडी
--	--

- शासी निकाय ने निर्णय लिया कि इसकी अगली बैठक जनवरी, 2020 में सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के सुविधानुसार आयोजित की जा सकती है।
- अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

प्रतिभागियों की सूची

क शासी निकाय के सदस्य

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | सुश्री शकुंतला डी. गामलिन, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी | संयोजक और सीईओ |
| 3 | श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं एफए, डीईपीडब्ल्यूडी | सदस्य |
| 4 | श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 5 | श्री वेन्नापूसा श्रीनिवासुलु रेड्डी (पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का प्रतिनिधित्व) | सदस्य |
| 6 | श्री अमित सागर शर्मा (बौद्धिक दिव्यांगता का प्रतिनिधित्व) | सदस्य |
| 7 | श्री सुरेन्द्र सिंह, डीएस, वित्तीय सेवा विभाग | सदस्य |
| 8 | श्री अरुण कुमार, अवर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग | सदस्य |

ख विभागीय अधिकारी

- | | |
|----|--|
| 9 | श्री मनोज साहू, प्रबंधक (एस एंड पी), एनएचएफडीसी |
| 10 | श्री शंकर शर्मा, प्रबंधक (कार्यक्रम), एनएचएफडीसी |
| 11 | श्री डी.के. पंडा, अवर सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी |

कार्यसूची बिंदु सं. 2 के अनुसार राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई योजनाओं/दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जारी की जाने वाली निधियों का ब्यौरा।

क्र.सं.	संगठन/व्यक्तिगत दिव्यांगजन	15.01.2019 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश	शासी निकाय का अनुमोदन
क.	नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनैस एंड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी), नई दिल्ली	सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला 2019 में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश, इस प्रकार है:- <ul style="list-style-type: none"> • 10 स्टॉल के लिए स्टॉल प्रभार - 14.75 लाख रुपये • 15 पीडब्ल्यूडी और उनके एस्कॉर्ट के लिए टीए /डीए (वास्तविक के अनुसार) 	17,75,450/- रुपये नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जारी किए जाएंगे क) 10 स्टॉल के लिए 14.75 लाख रुपये का स्टॉल प्रभार ख) 15 दिव्यांगों और उनके एस्कॉर्ट्स के लिए टीए/डीए के लिए 2,86,202/- रुपये और ग) 14,248/- रुपये का विविध व्यय। (भाग लेने वाले दिव्यांगजनों की संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने और वास्तविक बिल/वाउचर/दस्तावेज प्राप्त होने पर उन्हें टीए/डीए का वितरण करने पर निधियां जारी की जाएंगी।)
ख.	दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राहत केंद्र, मणिपुर	राज्य/स्थानीय प्राधिकारी से पत्र/मंजूरी प्राप्त होने की शर्त पर 7,49,500/- रुपये तक की वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश की गई है।	अक्टूबर, 2019 में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए 7,49,500/- रुपये जारी किए जाएंगे, जो हमारे सीआरसी गुवाहाटी से पुष्टि प्रमाण पत्र के अधीन है। सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की पुष्टि और प्रस्तुत करने पर कुल निधियों का 50% अग्रिम के रूप में जारी किया जाएगा तथा शेष 50% विस्तृत रिपोर्ट और यूसी प्रस्तुत करने के बाद जारी किया जाएगा।
ग.	श्री सतेंद्र सिंह, तैराक, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।	निम्नलिखित के अधीन वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश: 18 अगस्त, 2019 को निम्नलिखित वित्तीय स्थिति के साथ होने वाले शपथ पत्र की स्वीकृति:- कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए आने-जाने का हवाई टिकट (सबसे छोटे मार्ग में इकोनॉमी क्लास) तथा बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए प्रति दिन 4000/- रुपये	श्री सतेंद्र सिंह को 3,84,000/- रुपये की राशि जारी करना (हवाई टिकट के लिए 3.20 लाख रुपये + 64000/- रुपये आवास सहायता 4000/- प्रति दिन की दर से 16 दिनों के लिए)। इसके अलावा, शासी निकाय ने 44,400/- रुपये के पंजीकरण शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।